



प्रेस नोट

थाना खागा जनपद फतेहपुर की पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 276/2024 धारा 74/115(2)/352/107 BNS व 7/8 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर के आदेशानुसार व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी महोदय खागा फतेहपुर के निकल पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक थाना खागा फतेहपुर के कुशल नेतृत्व में शासन द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम अभियान के अंतर्गत दिनांक 23.09.24 को सरस्वती बाल विद्या मन्दिर इण्टर कालेज कस्बा खागा में कक्षा 12 की छात्रा द्वारा विद्यालय के बस ड्राइवर व प्रधानाचार्य के उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर विद्यालय की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। जिसकी मृत्यु दिनांक 28/09/2024 को दौराने इलाज रिजेन्सी हास्पिटल कानपुर में हो गयी थी। इस घटना से जनता में काफी भय व रोष व्याप्त था। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना खागा पर मु0अ0सं0 276/2024 धारा 74/115(2)/352/107 BNS व 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत है। जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमे में नामित बस ड्राइवर शिवशरन सिंह उर्फ मामा पुत्र स्व0 सूरजभान सिंह निवासी लोधौरा थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 58 वर्ष की गिरफ्तारी आज दिनांक 29/09/2024 को व0उ0नि0 प्रमोद कुमार मौर्य व हमराह पुलिस बल द्वारा नौबस्ता ओवरब्रिज अण्डरपास के नीचे कस्बा खागा से की गयी। मुकदमा उपरोक्त में नामित प्रधानाचार्य की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को वास्ते पेश करने न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. अभियुक्त का नाम पता- शिवशरन सिंह उर्फ मामा पुत्र स्व0 सूरजभान सिंह निवासी लोधौरा थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 58 वर्ष



गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. व0उ0नि0 प्रमोद कुमार मौर्य
2. का0 अमित सिंह

(तेज बहादुर सिंह)
प्रभारी निरीक्षक खागा
जनपद फतेहपुर